आई० टी० मैनेजर।

03

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) नि०था०का०–03 / 2022– 4161(S) पटना, दिनांक 17/6/26

श्री अनिल कुमार यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, उत्तर बिहार आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–10 / 2022, दिनांक 25.07.2022 दर्ज होने के फलस्वरूव विभागीय अधिसूचना संख्या–5505 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–5506 (एस) दिनांक 04.11.2022 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध विभागीय पत्रांक–2863 (एस) अनु० दिनांक 24.05.2023 के द्वारा आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पर निर्णय लिये जाने के क्रम में मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री यादव के अभ्यावेदन पत्रांक–02, दिनांक–05.02.2024 के द्वारा निलंबन अवधि के दौरान नियमित तौर पर निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज किये जाने, उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विलम्ब होने तथा निलंबन अवधि के दौरान किसी अन्य नियोजन / कारोबार / पेशा / व्यवसाय में नहीं लगे होने का उल्लेख करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 (1) (I) में अन्तर्निहित प्रावधान के तहत् देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50% वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

3. मामले के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री यादव को निलंबित हुए 03 वर्षो से अधिक अवधि हो गया है । अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10 (1) (I) में अन्तर्निहित प्रावधान के आलोक में श्री अनिल कुमार यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, उत्तर बिहार आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित को देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाती है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–1 (पथ) नि०था०का०–03 / 2022– **पटना, दिनांक......................**

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /–
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कृ०पृ०उ०

D:\Nigrani Section-13&14\Puja Jee\Adhisuchna & Karyalay Aadehsh.Docx

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) नि०था०का०–03/2022– 4162(S) पटना, दिनांक 17/6/28

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

17.6.28

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Nigrani Section-13&14\Puja Jee\Adhisuchna & Karyalay Aadehsh.Docx